न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/248/2013

उनवान

1. दुर्गा लाल पिता खेमा रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा, जिला भीलवाडा
2. प्रताप पुत्र खेमा रेगर मृतक के कायम मुकाम :–
   2/1 कैलाश पिता प्रताप रेगर, विासी हुरडा
   2/2 भॅवर लाल पिता प्रताप रेगर, निवासी हुरडा
   2/3 सुनीता पुत्री प्रताप रेगर, निवासी हुरडा
   2/4 रेखा पुत्री प्रताप रेगर, निवसी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. हीरा लाल पिता भैरू रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा
4. तेजपाल पिता पूर्णमल रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा
5. ग्राम पंचायत हुरडा जरिये सरपंच ग्राम पचांयत हुरडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण कमांक/राजस्व क/78/366/2130–31 दिनांक 5/8–5–78

अभिभाषक : 1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री गोपाल अजमेरा, प्रत्यर्थी संख्या 3,4
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश

दिनांक 6.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ने ग्राम हुरडा की आराजी नम्बर 1624 रकबा 16 बिस्वा किस्म चाही III लगान 2 रूपये 48 पैसा को मौके पर मकान एवं बाडे बने होने से अन्दर हल्का आबादी किये जाने का आदेश दिनांक 5/8–5–78 पारित किया । जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. बहस में वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के स्व0 पिता खेमा पिता देवी रेगर के खातेदारी एवं कब्जे की ग्राम हुरड़ा में आ0नं0 1624 रकबा 16 बिस्वा दर्ज थी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आदेश या सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही वादोक्त आराजी को हमारे खातेदारी से हटाकर अपने आदेश दिनांक 8.05.1978 से बिलानाम करते हुए आबादी में दर्ज कर दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे एवं पुनः वाद वर्णित आराजी नम्बर 1624 रकबा 16 बिस्वा को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वारिसान के नाम खातेदारी से दर्ज फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

4. वकील अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को जानकारी होते ही विधिक सलाहकार से सम्पर्क कर विधिवत दिनांक 01.10.2013 को नकलें प्राप्त करने के पश्चात यह अपील दफा–5 मियाद अधिनियम के

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, शीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत की इसमें किसी प्रकार से विलम्ब नहीं किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य फरमाते हुए अपील को मियाद में शुमार फरमाने का आदेश फरमावें।

5. बहस में राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। विलम्ब से प्रस्तुत की गई अवधि के प्रत्येक दिन के विलम्ब के कारणों का कोई विधिसम्मत कारण अपने प्रार्थनापत्र दफा–5 में अंकित नहीं किया है अतः अपील अपीलार्थी को मियाद बाहर मानते हुए खारिज फरमाई जावे।

6. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

7. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि ग्राम हुरड़ा सैजा तहसील हुरड़ा की आ0नं0 1624 रकबा 16 बिस्वा खातेदारी की भूमि है जिसे बिना किसी आदेश या विधिवत सुनवाई हेतु अधिग्रहण किए जाने या बिलानाम आबादी दर्ज किए जाने से पूर्व कोई सूचना पत्र मुझ अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के स्व0 पिता खेमा जी को कोई सूचना पत्र नहीं दिया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/78/366/2130–31 दिनांक 08.05.1978

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

से आबादी में दर्ज कर दी इसकी ताईद में अपीलार्थी ने अपील के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 35 एवं नामान्तरकरण संख्या 439 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसमें खाता संख्या 1449 में श्री खेमा वल्द देवी रगर सा0 हुरड़ा के नाम आ0नं0 1624 रकबा 16 बिस्वा किस्म चाही ।।। अन्य आ0नं0 1620 व 1622 के साथ खातेदारी से दर्ज है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 439 में भी नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 5 में प्रताप, दुर्गा पिता खेमा रेगर सा0 देह के नाम पर आ0नं0 1624 रकबा 16 बिस्वा दर्ज होना सिद्ध है जिसे तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के आदेश दिनांक 08.05.1978 से बिलानाम आबादी दर्ज किए जाने का अंकन है । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के वारिसान के स्व0 पिता प्रताप पिता खेमा जो कि खातेदार थे जिनकी भूमि को विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही बिलानाम आबादी दर्ज कर दी गई जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। पत्रावली में राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि खातेदार के द्वारा उक्त भूमि को आबादी हेतु समर्पित की गई हो। किसी खातेदार की भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न रूप में भी किया जा रहा हो तो उसके लिए विधिवत नोटिस जारी कर कार्यवाही की जानी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई सूचना पत्र या दस्तावेज संलग्न नहीं है मात्र सीधे ही अपने आदेश दिनांक 08.05.1978 से बिलानाम आबादी दर्ज किए जाने का जो आदेश पारित किया है उससे हम सहमत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा पटवारी हल्का हुरड़ा सेजा अपने पत्रांक/राजस्व/78/2664 दिनांक 31.07.1978 संलग्न है

(कैलाश चन्द्र लखावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जिसमें अंकित है कि प्रकरण संख्या 289/75 रिपोर्ट पटवारी हल्का सेजा बनाम राजू पिता देवा रेगर, हीरा वल्द भैरू रेगर साकिन हुरड़ा अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0एक्ट का विषय में अंकन किया हुआ है परन्तु पटवारी की रिपोर्ट संलग्न नहीं है कि उक्त व्यक्तियों का आ0नं0 1624 में अतिक्रमण था या नहीं ऐसा काई रिकॉर्ड अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। जबकि उक्त पत्र में तहसीलदार के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक/राजस्व/78/366/2130–31 दिनांक 08.05.1978 से आ0नं0 1624 को आबादी में दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को भिजवाए जाने का उल्लेख है जबकि आ0नं0 1624 स्व0 श्री खेमा पिता देबी रेगर के खातेदारी की थी जो खेमा के फौत हो जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रताप, दुर्गा पिता खेमा के नाम विरासत से दर्ज हुई जो नामान्तरकरण संख्या 439 से सिद्ध होता है। इस प्रकार आ0नं0 1624 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए बिलानाम आबादी दर्ज की गई है जो अपास्त योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा का आदेश क्रमांक/ राजस्व/ 78/ 366/2130–31 दिनांक 08.05.1978 को खारीज किया जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.06 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: